| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेन्स / एल.आर. /1272/ 2004/नागौर**<br>**राजस्थान सरकार बनाम मानाराम जरिये का.मु.**<br>**हीराराम वगैरह** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री सुनिल पारीक, उप राजकीय अभिभाषक।
श्री वी.एस.भाटी, अभिभाषक अप्रार्थी आवाज लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं

——

**आदेश**

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 22–1–03 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार लांडनू ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि जमाबंदी ग्राम लैडी संवत् 2006 में खसरा नंबर 449 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा डापेनी बनाम मंदिर श्री रूघनाथ जी बेएतमाम पुजारी चन्दरदास वल्द रेखा 1/2 हिस्सा नत्थू पि. मंगनीराम 1/2 हिस्सा कौम साकिन लैडी डोलीदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि बिना किसी वैध कारण के भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत् 2022 की मिसल बंदोबस्त में मंदिर का नाम हटाकर खसरा नंबर 449 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा मानाराम वल्द भेराराम कौम जोट साकिन देह खातेदारी में नियम विरूद्ध दर्ज कर दी गई। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया।

अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–1–03 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेन्स / एल.आर. /1272/ 2004/नागौर**<br>**राजस्थान सरकार बनाम मानाराम जरिये का.मु.**<br>**हीराराम वगैरह** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर रूघनाथ जी के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।<br><br>विद्वान राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थी के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।<br><br>अभिभाषक अप्रार्थी आवाज लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई। उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।<br><br>प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार जमाबंदी ग्राम लैडी संवत् 2006 में खसरा नंबर 449 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा डापेनी बनाम मंदिर श्री रूघनाथ जी बेएतमाम पुजारी चन्दरदास वल्द रेखा 1/2 हिस्सा नत्थू पि. मंगनीराम 1/2 हिस्सा कौम साकिन लैडी डोलीदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि बिना किसी वैध कारण के भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत् 2022 की मिसल बंदोबस्त में मंदिर का नाम हटाकर खसरा नंबर 449 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा मानाराम वल्द भेराराम कौम जोट साकिन देह खातेदारी में नियम विरूद्ध दर्ज कर दी गई। जो बिना किसी आदेश एवं आधार के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेन्स / एल.आर. /1272/ 2004/नागौर**<br>**राजस्थान सरकार बनाम मानाराम जरिये का.मु.**<br>**हीराराम वगैरह** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मानाराम के फौत होने पर सके कायम मुकाम को अप्रार्थीगण बनाया गया है।<br><br>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।<br><br>निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम लैडी को पुनः ''माफी मंदिर श्री रूघनाथ जी महाराज'' के नाम बतौर खातेदारी दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(आर.के.जायसवाल)**<br>**सदस्य** | |